भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3789
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

आयकर अपीलीय अधिकरण में ई-गवर्नेंस और ई-कोर्ट का उपयोग

3789 # श्री दीपक प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण में ई-गवर्नेंस और ई-कोर्ट का उपयोग शुरू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वादियों के लिए कम असुविधा के साथ मामलों का तेजी से निपटारा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अब वादियों को अपने मामलों की सुनवाई के लिए शहर के बेंच जाने की जरूरत नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : पणधारियों द्वारा अपीलों, आवेदनों, याचिकाओं और दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में ई-फाइलिंग पोर्टल आरंभ किया गया है। ई-फाइलिंग पोर्टल को पणधारियों की स्वीकृति मिल रही है। वर्ष के दौरान 28.02.2025 तक आईटीएटी की विभिन्न पीठों के समक्ष ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से 26,000 से अधिक अपील और आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए। सभी पणधारियों की पहुंच के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के माध्यम से विभिन्न पीठों पर मुफ्त और हाई-स्पीड इंटरनेट का उपबंध किया गया है। पणधारियों को बेहतर हाइब्रिड/आभासी सुनवाई का अनुभव प्रदान करने के लिए आईटीएटी, दिल्ली और लखनऊ पीठों के नए कार्यालय परिसर में स्थित न्यायालय कक्षों को अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना से सुसज्जित किया गया है।

(ग) और (घ) : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में, आईटीएटी ने सभी पीठों पर हाइब्रिड/आभासी सुनवाई को अक्षरशः लागू किया है, जिससे वादियों को अपने मामलों की सुनवाई आभासी तरीके से करने में सुविधा होती है। आईटीएटी की पीठें आभासी सुनवाई के लिए पक्षों के अनुरोधों को अस्वीकार नहीं कर रही हैं। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए, आईटीएटी की विभिन्न पीठों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलों की कुल 1,22,302 सुनवाई की गई हैं ।

*****